संस्था का नाम— लिटिल एंजिल चैरिटेबिल सोसायटी।

संस्था का पता— ग्राम व पोस्ट किच्छा जिला ऊधम सिंह नगर।

प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष 2014—2015

क्र० सं०	नाम पिता / पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री कमलेश्वर जोशी पुत्र स्व० श्री गोवर्धन जोशी	ग्राम देवरिया किच्छा जिला ऊधम सिंह नगर	अध्यक्ष	कृषि
2.	श्री युगल किशोर चराया पुत्र स्व० श्री दीवान चन्द चराया	ग्राम महाराजपुर किच्छा जिला ऊधम सिंह नगर	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	श्री नन्द किशोर पुत्र स्व० श्री सूरजमल [illegible]	[illegible] विकास किच्छा जिला ऊधम सिंह नगर	सचिव	व्यापार
4.	श्री सत्यपाल अरोरा पुत्र स्व० श्री धर्मचन्द	वार्ड नं० [illegible] सुनहरी किच्छा जिला ऊधम सिंह नगर	कोषाध्यक्ष	कृषि
5.	श्रीमती चम्पा उर्फ जयवन्ती [illegible] पुत्री स्व० श्री [illegible]	[illegible] किच्छा जिला ऊधम सिंह नगर	प्रबन्धक	अध्यापन
6.	श्री रमेश सिंह पुत्र स्व० श्री बचे सिंह	उत्तरांचल कालौनी किच्छा जिला ऊधम सिंह नगर	सदस्य	अध्यापन
7.	श्री बलवन्त सिंह पुत्र स्व० श्री केवलसिंह	वार्ड नं० 6 किच्छा जिला ऊधम सिंह नगर	सदस्य	नौकरी
8.	श्री कुलवन्त सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह	पनचक्की फार्म किच्छा जिला ऊधम सिंह नगर	सदस्य	कृषि
9.	श्री गुलशन नारंग पुत्र स्व० श्री फकीरचन्द	सुनहरी फार्म किच्छा जिला ऊधम सिंह नगर	सदस्य	कृषि
10.	श्री सुनील मिगलानी पुत्र स्व० श्री आत्म प्रकाश मिगलानी	किच्छा जिला ऊधम सिंह नगर	सदस्य	व्यापार
11.	श्री हरिकृष्ण चौधरी पुत्र स्व० श्री पलवान चन्द	आवास विकास किच्छा जिला ऊधम सिंह नगर	सदस्य	व्यापार

1.
2.
3.
4.
5. a. Aston
6.

लिटिल एंजिल चैरिटेबिल सोसायटी
किच्छा (ऊधम सिंह नगर)

समस्त हस्ताक्षर अप्रमाणित
सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
ऊधम सिंह नगर
28/11/14

संख्या 668/XXIV-3/2007/01(39)/2007

प्रेषक,

सुवर्द्धन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
समुदाय केन्द, प्रीति विहार
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनॉक 28 जून, 2007

विषयः लिटिल एंजिल स्कूल किच्छा, उधमसिंहनगर को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लिटिल एंजिल स्कूल किच्छा, उधमसिंहनगर से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है–

1– उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौंऊसिंल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डो द्वारा निर्धारित शर्तो/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

2– विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

3– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

4– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

5– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशनल, नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

6– संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

7– विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

8– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

9– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

Little Angel School
Kichha (Udham Singh Nagar)

Manager
LITTLE ANGEL SCHOOL
Kichha (Udham Singh Nagar)

क्रमशः.....2

10– उक्त शर्तों में, बिना शासन के पूर्वानुमोदन के, कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2– उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव

संख्या 668(1)/XXIV-3/07/01(39)/2007,तद्दिनाँक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, मयूर विहार, देहरादून।
2– अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3– जिला शिक्षा अधिकारी, उधमसिंहनगर ।
4– प्रधानाचार्य, लिटिल एंजिल स्कूल किच्छा, उधमसिंहनगर।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

10– उक्त शर्तो में, बिना शासन के पूर्वानुमोदन के, कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2– उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव

संख्या 668(1)/XXIV-3/07/01(39)/2007,तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, मयूर विहार, देहरादून।
2– अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3– जिला शिक्षा अधिकारी, उधमसिंहनगर ।
4– प्रधानाचार्य, लिटिल एंजिल स्कूल किच्छा, उधमसिंहनगर।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

संख्या 668/XXIV-3/2007/01(39)/2007

प्रेषक,

सुधवर्द्धन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांक 28 जून, 2007

विषयः लिटिल एंजिल स्कूल किच्छा, उधमसिंहनगर को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लिटिल एंजिल स्कूल किच्छा, उधमसिंहनगर से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:–

1– उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौंऊंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डो द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

2– विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

3– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

4– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

5– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशनल, नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

6– संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

7– विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

8– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें, संस्था उनका पालन करेगी।

9– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

क्रमशः.....2